विधानसभा / महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 253 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 17 / 2 / 2026

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर**
   छत्तीसगढ़
2. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
   अटल नगर, नवा रायपुर
3. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक,
   अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
4. **पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाऐं,
   अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

विषय :–विधानसभा प्रश्न कमांक 985 तारांकित द्वारा श्री दिलीप लहरिया, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

———00———

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 985 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 19.02.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 254 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 17 / 2 / 2026

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **27/02/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **09/03/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **धान नहीं बिक पाने वाले किसानों/ऋणी किसानों की संख्या**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **985**) **श्रीदिलीप लहरिया**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सत्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में तकनीकी कारणों, एग्रीस्टेक पोर्टल की त्रुटियों अथवा धान खरीदी की समय-सीमा समाप्त होने के कारण अनेक किसान पंजीयन एवं टोकन होने के बावजूद धान नहीं बेच पाए हैं? यदि हाँ, तो ऐसे किसानों की संख्या कितनी है? (ख) एग्रीस्टेक पोर्टल में रकबा शून्य/कम अथवा त्रुटिपूर्ण दर्शाए जाने के कारण धान विक्रय से वंचित किसानों की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो क्षतिपूर्ति हेतु शासन की क्या व्यवस्था है? (ग) किसानों से रकबा/खसरा समर्पण किन परिस्थितियों में तथा शासन की किस नीति/आदेश के तहत कराया गया? अब तक कितने किसानों ने रकबा/खसरा समर्पित किया है? (घ) जिन ऋणी किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है, उनके अल्पकालिक कृषि ऋण की अदायगी के संबंध में शासन की क्या नीति है? (ङ) क्या शासन ऐसे किसानों के हित में, जिनके पास टोकन होने के बावजूद धान नहीं खरीदा गया, धान खरीदी की अवधि बढ़ाने अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो विवरण दें?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 17/02/2026 02:08:49 |

Remark :